भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *46
जिसका उत्तर गुरुवार, 21 जुलाई, 2022 को दिया जाना है

उच्च न्यायालयों में लंबित मामले

***46. श्री नीरज शेखर :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न उच्च न्यायालयों में वर्ष 2021 और वर्ष 2022 के दौरान 30 जून, 2022 तक दायर किए गए और निपटाए गए मामलों की संख्या का उच्च न्यायालय-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) विभिन्न उच्च न्यायालयों में 30 जून, 2022 तक की स्थिति के अनुसार दीवानी और फौजदारी के लंबित मामलों का उच्च न्यायालय-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) गरीब वादियों को राहत प्रदान करने हेतु विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए किए गए/किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

****

“उच्च न्यायालयों में लंबित मामलें” से संबंधित राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *46 जिसका उत्तर तारीख 21.07.2022 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

(क) : विभिन्न उच्च न्यायालयों में वर्ष 2021 और 2022 के दौरान तारीख 30 जून, 2022 तक फाईल किए गए और निपटाए गए मामलों के उच्च न्यायालय-वार और वर्ष-वार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण **उपाबंध-1** पर दिया गया है ।

(ख) : विभिन्न उच्च न्यायालयों में तारीख 30 जून, 2022 तक लंबित सिविल और दाण्डिक दोनों मामलों के उच्च न्यायालय-वार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण **उपाबंध-2** पर दिया गया है ।

(ग) : न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटारा न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में है । संबंधित न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटारे के लिए कोई समय सीमा विहित नहीं की गई है । न्यायालयों में मामलों के निपटारे में सरकार की कोई सीधी भूमिका नहीं है । न्यायालयों में मामलों का समय पर निपटारा विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृन्द की पर्याप्त संख्या और भौतिक अवसंरचना, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों का सहयोग जैसे कि बार, अन्वेषण अभिकरण, गवाह और मुवक्किल और नियमों तथा प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग सम्मिलित है । ऐसे कई कारक है जिनसे मामलों के निपटान में विलंब होता हैं । इनमें अन्य बातों के साथ न्यायाधीशों के पदों का रिक्त होना, बारंबार स्थगन और सुनवाई के लिए मामलों की मानीटरी, खोज और एकत्रण की पर्याप्त व्यवस्था का अभाव सम्मिलित है । केंद्रीय सरकार, संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार मामलों के त्वरित निपटारे के लिए और लंबित मामलों में कमी करने के लिए पूर्णत: समर्पित है । सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के त्वरित निपटारे के लिए पारिस्थितिक तंत्र उपलब्ध कराने हेतु कई पहलें की हैं ।

न्याय के परिदान और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन का गठन अगस्त, 2011 में न्याय प्रणाली में विलम्ब और बकाया को कम करके और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जबावदेही बढ़ाकर तथा निष्पादन मानक और क्षमताओं को नियत करके दोहरे उद्देश्यों के साथ किया गया था । मिशन, न्याय प्रशासन में बकाया और लंबन को चरणवार कम करने के लिए एक समन्वित पहुंच अपना रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिसके अन्तर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुनः प्रबंधन तथा मानव संसाधन का विकास भी है ।

विभिन्न पहलों के अधीन पिछले आठ वर्षों में उठाए गए प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं :-

(i) जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार करना: वर्ष 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीकृत प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के प्रारंभ से आज तक 9013.21 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं । इस स्कीम के अधीन, न्यायालय हालों की संख्या तारीख 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर तारीख 30.06.2022 तक 20,993 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या तारीख 30.06.2014 को 10,211 से बढ़कर तारीख 30.06.2022 तक 18,502 हो गई है । इसके अतिरिक्त, 2,777 न्यायालय हाल और 1,659 आवासीय ईकाइयां निर्माणाधीन हैं । न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु केंद्रीय प्रायोजित स्कीम 9000 करोड़ रुपये की कुल लागत के साथ 2025-26 तक बढ़ा दी गई है, जिसमें से केन्द्रीय हिस्सा 5307 करोड़ रुपये होगा। न्यायालय हालों और आवासीय ईकाइयों के संनिर्माण के अतिरिक्त, इसके अन्तर्गत अधिवक्ता हालों, शौचालय परिसरों और डिजिटल कम्प्यूटर कक्षों का संनिर्माण भी होगा।

(ii) न्याय के परिदान में सुधार के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाना : सरकार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी समर्थकरण के लिए देशभर में ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है । अभी तक कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या बढ़कर 18,735 हो गई है । 99.3 प्रतिशत न्यायालय परिसरों को वॉन संयोजकता प्रदान की गई है । मामले की सूचना साफ्टवेयर का नया और उपयोक्ता अनुकूल संस्करण विकसित करके सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लगाया गया है । सभी पणधारी, जिनके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी हैं, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) पर कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/निर्णयों से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं । तारीख 04.07.2022 को यथाविद्यमान, वादी इन न्यायालयों से संबंधित 20.86 करोड़ मामलों तथा 18.02 करोड़ आदेशों/निर्णयों की प्रास्थिति जान सकते हैं । ई-न्यायालय सेवाएं जैसे कि मामला रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे, वाद सूची, मामला प्रास्थिति, दैनिक आदेश और अंतिम निर्णय ई-न्यायालय वैब पोर्टल, सभी कंप्यूटरीकृत न्यायालयों में न्यायिक सेवा केंद्र (जेएससी) के माध्यम से, ई-न्यायालय मोबाइल एप, ई-मेल सेवा, एसएमएस पुश और पुल सेवा के माध्यम से वादियों और अधिवक्ताओं को उपलब्ध हैं । 3,240 न्यायालय परिसरों तथा 1,272 तत्स्थानी कारागारों के बीच वीडियो कान्फरेंसिंग सुविधा को समर्थ बनाया गया है । कोविड-19 की चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करने तथा वर्चुअल सुनवाई में संक्रमण को अधिक आसान बनाने की दृष्टि से, मामले की प्रास्थिति से लेकर निर्णय/आदेशों को प्राप्त करने, न्यायालय/मामले संबंधित सूचना और ई-फाइलिंग सुविधाओं तक सहायता की आवश्यकता वाले अधिवक्ताओं तथा वादियों को सुविधा प्रदान करने के लिए न्यायालय परिसरों में 500 ई-सेवा केन्द्रों का गठन करने के लिए निधियों की व्यवस्था की गई है । विभिन्न न्यायालय परिसरों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग केबिनों में वर्चुअल सुनवाई की सुविधा प्रदान करने के लिए उपकरणों की व्यवस्था करने हेतु 5.01 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं । विभिन्न न्यायालय परिसरों में, ई-फाइलिंग हेतु 1732 हेल्प डेस्क काउंटरों के लिए 12.12 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं ।

यातायात संबंधी अपराधों के विचारण हेतु 16 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों अर्थात दिल्ली (2), हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल (2), महाराष्ट्र (2), असम, छतीसगढ़, जम्मू-कश्मीर (2), उत्तर प्रदेश, ओड़िशा, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल में बीस वर्चुअल न्यायालय गठित किए गए हैं । तारीख 03.03.2022 तक इन न्यायालयों ने 1.69 करोड़ मामले निपटाए तथा 271.48 करोड़ रुपए जुर्माने के रुप में वसूल किए ।

कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेसिंग, न्यायालयों के सहारे के रूप में उभरा, क्योंकि सामूहिक ढंग से भौतिक सुनवाईयां और सामान्य न्यायालय कार्यवाहियां संभव नहीं थी । कोविड लॉकडाउन आरम्भ होने के समय से 30.04.2022 तक केवल वीडियो कॉन्फ्रेसिंग का प्रयोग करके जिला न्यायालयों ने 1,28,76,549 मामलों में सुनवाइयां और उच्च न्यायालयों ने 63,76,561 मामलों में सुनवाइयां (कुल 1.92 करोड़) की हैं । उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन अवधि आरम्भ होने के समय से 13.06.2022 तक 2,61,338 सुनवाइयां कीं थी ।

(iii) उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की रिक्तियों को भरा जाना : तारीख 01.05.2014 से 15.07.2022 के दौरान उच्चतम न्यायालय में 46 न्यायमूर्ति नियुक्त किए गए थे । उच्च न्यायालयों में 769 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और 619 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया था । उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों की स्वीकृत पद संख्या को मई, 2014 में 906 से बढ़ाकर वर्तमान में 1,108 किया गया है । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या निम्न प्रकार बढ़ाई गई हैं :

तारीख को	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
31.12.2013	19,518	15,115
15.07.2022	24,631	19,289

अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों के कार्यक्षेत्र में है ।

(iv) बकाया समितियों के माध्यम से/अनुसरण द्वारा लम्बित मामलों में कमी: अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, उच्च न्यायालयों में पांच वर्ष से अधिक लम्बित मामलों के निपटान के लिए बकाया समितियां गठित की गई हैं। बकाया समितियां, जिला न्यायाधीशों के अधीन भी गठित की गई हैं। उच्च न्यायालयों तथा जिला न्यायालयों में लम्बित मामलों में कमी के लिए कदम प्रतिपादित के लिए उच्चतम न्यायालय में बकाया समिति गठित की गई है । पूर्व में विधि और न्याय मंत्री द्वारा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों तथा मुख्यमंत्रियों को, पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों तथा लंबन घटाने के अभियान की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, संसूचित किया गया है । विभाग ने मलिमथ समिति रिपोर्ट के बकाया उन्मूलन स्कीम मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसरण के संबंध में सभी उच्च न्यायालयों द्वारा रिपोर्ट करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है ।

(v) वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर देना: वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015, (20 अगस्त, 2018 को यथासंशोधित), वाणिज्यिक विवादों के निपटारे के लिए आज्ञापक पूर्व-संस्थान मध्यकता क्रियाविधि पर जोर देता है। माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 का समय-सीमा विहित करके विवादों के त्वरित निपटान समाधान को शीघ्र बनाने के लिए संशोधन किया गया है।

(vi) लोक अदालत, सी.पी.सी की धारा 89 के अधीन एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है । लोक अदालत को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन उसकी प्रभावकारिता को मान्यता प्रदान करते हुए, न्याय प्रदान की त्वरित, कम खर्चीली ओर तेज प्रणाली के रूप में कानूनी प्रास्थिति प्रदान की गई है । उक्त अधिनियम की धारा 19 के अनुसार लोक अदालत किसी न्यायालय के समक्ष लबिंत मामले पर या पक्षकारों के मध्य विवादग्रस्त किसी मामले पर जिसे अभी तक न्यायालय के समक्ष लाया नहीं गया है, विचार करने की अधिकारिता है । लोक अदालत सिविल मामलों और सभी शमनीय दांडिक मामलों पर विचार करती है, चाहे वे किसी न्यायालय में लंबित हों या किसी मुकदमा-पूर्व स्तर पर हों ।

लोक अदालतें राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर आयोजित की जाती हैं । राष्ट्रीय लोक अदालतें प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के प्रारंभ होने पर नाल्सा द्वारा विनिश्चित तारीखों पर किसी एक दिन देश के सभी न्यायालयों और अधिकरणों में आयोजित की जाती हैं । राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण भी स्थानीय परिस्थितियों और अपेक्षाओं के अनुसार समय समय पर लोक अदालतें आयोजित करते हैं ।

कोविड महामारी के कारण हुई अस्तव्यस्तता की अवधि में विधिक सेवा प्राधिकरणों में नए सन्नियमों को स्वीकार करते हुए और वर्चुअल मंचों से लोक अदालत चलाकर सृजनात्मक रूप से व्यवहार किया है। ई-लोक अदालत प्रौद्योगिकी और वैकल्पिक विवाद समाधान ("एडीआर") तंत्र के संयोजन से विवादों का निपटारा करने की प्रक्रिया है जो त्वरित, पारदर्शी और पहुंच योग्य विकल्प प्रदान करती है ।

तथापि, ये लोक अदालतें लंबित और मुकदमा-पूर्व दोनों मामलों पर विचार करती है, उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में वास्तविक रूप से लंबित अधिक से अधिक मामलों

पर भी विचार करके न्यायालय में लंबित मामलों में कमी करने पर मुख्य संकेंद्रण रहता है । लोक अदालतें दूरस्थ और दूर-दराज की तालुकाओं सहित जिला और तालुका स्तरों पर आयोजित की जाती है । लोक अदालतों की उन्नति के लिए पक्षकारों द्वारा संदत्त न्यायालय फीस की वापसी/प्रतिसंदाय के लिए उपबंध किए गए हैं । पक्षकार बिना किसी प्रतिनिधि के प्रस्तुत हो सकते हैं और अपने मामलों को प्रस्तुत कर सकते हैं ।

(vii) विशेष प्रकार के मामलों के त्वरित निपटान के लिए पहल : चौदहवें वित्त आयोग ने राज्यों में न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें, अन्य बातों के साथ, जघन्य अपराधों के मामलों के लिए; वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि को अंतर्वलित करने वाले मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना भी सम्मिलित है और राज्य सरकारों से ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 32% से 42% वर्धित कर विचलन के रूप में प्रदान किए गए अतिरिक्त राजवित्तीय स्थान का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। 31.05.2022 को यथाविद्यमान, जघन्य अपराधों, स्त्रियों और बच्चों के विरुद्ध अपराधों, आदि के लिए 892 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं। निर्वाचित सांसदों/विधान सभा सदस्यों को अंर्तवलित करने वाले त्वरित निपटान दांडिक मामलों के लिए नौ (9) राज्यों (मध्य-प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर-प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में प्रत्येक में 1 और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में 2) दस (10) विशेष न्यायालय स्थापित की गए हैं । इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता के अधीन बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लम्बित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए सम्पूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना करने के लिए सरकार ने एक स्कीम का अनुमोदन किया है । आज तक 28 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 842 एफटीएससी की स्थापना करने के लिए स्कीम में सम्मिलित हुए हैं, जिसके अन्तर्गत 363 ‘विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय’ भी हैं । इस स्कीम के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में 140 करोड़ रुपए जारी किए गए और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 160.00 करोड़ रुपए जारी किए गए और वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 134.557 करोड़ रुपए जारी किए गए । वर्तमान में 408 अनन्य पॉक्सो न्यायालयों सहित 728 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं, जिन्होंने 30.06.2022 तक 1,02,344 मामलों का निपटान किया है ।

(viii) इसके अतिरिक्त, न्यायालयों में लम्बन और अवरोध को कम करने के लिए, सरकार ने विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 को हाल ही में संशोधित किया है ।

******

उपाबंध-1

"उच्च न्यायालयों में लंबित मामलें" से संबंधित राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *46 जिसका उत्तर तारीख 21.07.2022 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

वर्ष 2021 और 2022 के दौरान तारीख 30 जून, 2022 तक फाईल किए गए और निपटाए गए मामलों के उच्च न्यायालय-वार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	उच्च न्यायालयों का नाम	2021		2022 (30.06.2022 से)	
		दाखिल	निपटाए गए	दाखिल	निपटाए गए
1.	इलाहाबाद	281948	243392	162461	151864
2.	बम्बई	85646	57835	56447	41610
3.	कलकत्ता	50012	52466	34061	39267
4.	गुवाहाटी	12717	9359	8389	6788
5.	तेलंगाना	57295	40334	38567	37233
6.	आंध्र प्रदेश	50087	31860	29408	17099
7.	छत्तीसगढ़	35974	30809	21816	15699
8.	दिल्ली	37896	27490	24398	20231
9.	गुजरात	70251	58412	39244	34559
10.	हिमाचल प्रदेश	38250	30054	20931	16176
11.	जम्मू-कश्मीर	12773	23617	6759	7423
12.	झारखंड	40566	40637	20972	22839
13.	कर्नाटक	86669	89989	50166	39673
14.	केरल	70982	57003	35689*	25330*
15.	मध्य प्रदेश	128158	103415	70525	62595
16.	मणिपुर	1520	1151	832	932
17.	मेघालय	786	649	421	661
18.	पंजाब और हरियाणा	119327	87310	63780	59575
19.	राजस्थान	166493	124930	94275	73758
20.	सिक्किम	157	217	73	74
21.	त्रिपुरा	2193	2800	1168	1400
22.	उत्तराखंड	17743	14703	9437	7965
23.	मद्रास	133766	146244	79319	88229
24.	उड़ीसा	129061	105638	53212	60123
25.	पटना	107431	60822	49374	52816
कुल		**1737701**	**1441136**	**936035**	**858589**

स्रोत उच्च न्यायालय

*31.05.2022

उपाबंध-2

“उच्च न्यायालयों में लंबित मामलें” से संबंधित राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *46 जिसका उत्तर तारीख 21.07.2022 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

विभिन्न उच्च न्यायालयों में तारीख 30 जून, 2022 तक लंबित सिविल और दाण्डिक दोनों मामलों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	सिविल	दांडिक	कुल
	इलाहाबाद	564504	464681	1029185
	बम्बई	489593	100892	590485
	कलकत्ता	185958	30451	216409
	गुवाहाटी	45991	10987	56978
	तेलंगाना	223062	35922	258984
	आंध्र प्रदेश	200956	33838	234794
	छत्तीसगढ़	55686	31407	87093
	दिल्ली	76703	28653	105356
	गुजरात	103494	55018	158512
	हिमाचल प्रदेश	75863	11187	87050
	जम्मू-कश्मीर	38582	7333	45915
	झारखंड	40609	46040	86649
	कर्नाटक	251951	44559	296510
	केरल	167865	42368	210233
	मध्य प्रदेश	262297	160497	422794
	मणिपुर	4261	464	4725
	मेघालय	1138	131	1269
	पंजाब और हरियाणा	285149	167632	452781
	राजस्थान	438202	159452	597654
	सिक्किम	136	41	177
	त्रिपुरा	1391	128	1519
	उत्तराखंड	24768	18052	42820
	मद्रास	511754	54445	566199
	उड़ीसा	140499	49186	189685
	पटना	114451	108047	222498
	कुल	**4304863**	**1661411**	**5966274**

स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक आकड़ा ग्रिड

****